



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 25.03.2025

- कानपुर देहात पुलिस द्वारा गौमांस तस्करोँ के विरुद्ध की गयी कड़ी कार्यवाही ।
- थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा गौमांस की तस्करी करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को 45 कि०ग्रा० गौमांस के साथ किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेंज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम एवं खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 24.03.2025 को समय 19.55 बजे अभियुक्त 1. जीशान पुत्र निहाल निवासी 85/55 छोटी ईदगाह कोपरगंज थाना रायपुरवा जनपद कानपुर नगर व 2. सुशील पासी पुत्र कल्लू निवासी छिर्रिया चौकी बदरका थाना अचलगंज जनपद उन्नाव को सुजुकी स्कूटी संख्या UP 78 HV 8077 से 45 कि०ग्रा० गौमांस ले जाते हुये ग्राम नयापुरवा दुर्गा देवी मन्दिर के पास बनी पुलिया शिवली-रसूलाबाद रोड थाना क्षेत्र शिवली से गिरफ्तार कर थाना शिवली पर मु०अ०सं० 101/2025 धारा 3/5/8 उ०प्र० गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. जीशान पुत्र निहाल निवासी-85/55 छोटी ईदगाह कोपरगंज थाना रायपुरवा कानपुर नगर ।
2. सुशील पासी पुत्र कल्लू निवासी छिर्रिया चौकी बदरका थाना अचलगंज जनपद उन्नाव ।

बरामदगी का विवरण-

1. 45 कि०ग्राम गौमांस
2. 01 अदद सुजुकी स्कूटी UP 78 HV 8077

बरामद करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री शिवेन्द्र कुमार वर्मा
3. हे0का0 540 मनोज कुमार पटेल
4. का0 654 विनय सिसौदिया
5. का0 294 राजदीप